

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

राजस्व निगरानी संख्या 26/ 17 (2017/00209)

वर्ष 2017

बउनवानी:-

1. राजेश पुत्र प्रभू गुर्जर निवासी हथडोली तहसील बाँली, जिला सवाईमाधोपुर
2. प्रभू पुत्र तुलस्या गुर्जर निवासी हथडोली तहसील बाँली जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति(उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर)
2. सरकार जरिये तहसीलदार बाँली, जिला सवाईमाधोपुर
3. आशाराम पुत्र रामनिवास प्रजापत निवासी हथडोली, तहसील बाँली
4. रामेश्वर पुत्र रामनिवास प्रजापत निवासी हथडोली, तहसील बाँली
5. मुरारी पुत्र रामनिवास प्रजापत निवासी हथडोली, तहसील बाँली
6. प्रेम बेरवा रामनिवास प्रजापत निवासी हथडोली, तहसील बाँली
7. कैली देवी पत्नि श्री देवकरण गुर्जर निवासी हथडोली तहसील बाँली
8. मोत्या देवी पत्नि देवपाल गुर्जर निवासी हथडोली तहसील बाँली
9. धोली देवी पत्नि सोराम गुर्जर निवासी हथडोली तहसील बाँली
10. मथुरा देवी पत्नि श्योजी गुर्जर निवासी हथडोली तहसील बाँली

(निगरानी प्रार्थना विरुद्ध आवंटन आदेश दिनांक 27.5.1981 उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970)

उपस्थित:-1. श्री गजानन्द गोयल

वकील प्रार्थीगण

2. श्री मनीष तवंर

वकील अप्रार्थीगण 3-10

-: निर्णय :-

दिनांक 8.5.2019

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के द्वारा किये गये कृषि भूमि आवंटन आदेश दिनांक 27.5.1981 के विरुद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि कथित आवंटन आदेश अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना प्रस्तुत पत्र होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गयी।

वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा विपक्षी संख्या 3 लगायत 5 के पिता व अप्रार्थी संख्या 6 के पति श्री रामनिवास पुत्र कल्याण कुम्हार निवासी हथडोली तहसील बाँली के पक्ष मे किया गया आवंटन आदेश दिनांक 27.5.1981 नियम विरुद्ध होने के कारण काबिले खारिज है। यह कथन भी किया कि आराजी ख0न0 840 रकबा 51 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम हथडोली चरागाह भूमि जमाबन्दी सम्बत् 2040 तक रही है इस कारण चरागाह भूमि मे से अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 5 के पिता व अप्रार्थी संख्या 6 के पति को भूमि आवंटन करने का अधिकार अप्रार्थी संख्या 1 उप जिला कलेक्टर को नही था किन्तु फिर भी उक्त भूमि को बंजड बताते हुए गलत प्रकार से आवंटन समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 के पिता व अप्रार्थी संख्या 6 के पति को आवंटित की गयी है जो खारिज किये जाने योग्य है। यह कथन भी किया कि चरागाह भूमि को बिना ग्राम पंचायत के बहुमत के यानि निर्णय के सिवाचयक या बजंड में परिवर्तन करने का अधिकार जिला कलेक्टर को भी नही था। ख0न0 840 रकबा 51 बीघा 11 बिस्वा भूमि को ग्रामवासियों के पशुओं के चरागाह के लिये राज्य सरकार द्वारा रिजर्व रखी गयी है। जिसके एवज में अन्य इतनी ही सिवायचक भूमि चरागाह के लिये ग्राम हथडोली के आस पास राज्य सरकार द्वारा चरागाह के लिये आवंटित नही की गयी है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 के पिता व अप्रार्थी संख्या 6 के पति के हक मे किया गया आवंटन आदेश दिनांक 27.5.1981 निरस्त होने योग्य है। क्योकि ख0न0 840 चरागाह को आवंटन समिति द्वारा बजंड भूमि बताई गयी है जो नही है। यह कथन भी किया कि आवंटन के दो वर्ष तक कोई आवंटी काश्त नही करता है तो उस स्थिति में आवंटन स्वतः निरस्त होने योग्य है। उक्त चरागाह भूमि को सिवाचक घोषित करने के लिये 27.5.1981 से पूर्व जिला कलेक्टर ने

डॉ० एम० पी० सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

राज्य सरकार से भी कोई स्वीकृति नहीं ली इस कारण भी आवंटन आदेश दिनांक 27.5.1981 निरस्त होने योग्य है। उक्त भूमि ग्राम हथडोली के पशुओं के लिये गौ शालायाना पशुओं की चराई के लिये रजिर्व रखी हुई है। ऐसी स्थिति में चरागाह भूमि पर किये गये उक्त आवंटन को निरस्त करने के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। यह तर्क भी कि आराजी ख0न0 840 पर ग्रामवासी आवंटन दिनांक 27.5.1981 के पहले से ही चरागाह के रूप में काश्त करके पशुओं का चराते थे जिससे ग्राम के जानवरों का जीवनयापन होता था इसलिए उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। वकील प्रार्थीगण द्वारा उक्तानुसार किये गये कथन की पुष्टि में न्यायिक दृष्टान्त R.R.D 1989 page No 203-204 जिसके अनुसार गैर मुमकिन तलाई की भूमि को काबिल काश्त में परिवर्तित करने का अधिकार उपजिला कलेक्टर को नहीं है तथा 2016(2)DNJ (Raj.) page No 563-572 जिसके अनुसार अति0जिला कलेक्टर को भूमि के गैर मुमकिन रास्ते से काबिल काश्त में परिवर्तित करने के आदेश देने की शक्ति नहीं है। R.R.D 1989 page No 203-204 जिसके अनुसार 30 वर्ष बाद आवंटन निरस्त किया गया है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 नियम 7 में संशोधन 19.5.1993 किया है जिसके अनुसार कलेक्टर पंचायत के परामर्श से अधिनियम की धारा 5 की उपधारा(28) में यथा परिभाषित चरागाह भूमि को या राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956(15 आफ 1956) की धारा 92 के अधीन अलग रखी गयी किसी चरागाह भूमि का वर्गीकरण, कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु बिना अधिभोग की कृष्य सरकार भूमि (सिवाचयक) के रूप में किसी गैर कृषि प्रयोजन हेतु परिवर्तित कर सकेगा। AIR 1975 SC 907 जिसके अनुसार सिमिलेट मेटर में वही निर्णय लेना चाहिए। अतः प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार कर अप्रार्थीगण 3 व 5 के पिता व अप्रार्थी संख्या 6 के पति के पक्ष में किये गये विधिविरुद्ध आवंटन को निरस्त करने दाबत वकील निगरानीकार द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता श्री रामनिवास के नाम दिनांक 27.5.1981 को ख0न0 840 में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन विधिवत किया गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है क्योंकि अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 5 के पिता व अप्रार्थी संख्या 6 के पति को आवंटित भूमि ख0न0 840 रकबा 96 बीघा 11 बिस्वा सम्वत् 2031 से 2033 तक राजस्व रिकार्ड में चरागाह थी जिसमें से 45 बीघा भूमि सम्वत् 2034 में उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के आदेशानुसार सिवायचक घोषित की गयी है उसके बाद ख0न0 840 की 45 बीघा भूमि की किस्म सम्वत् 2035 से 2039 तक मुताबिक राजस्व रिकार्ड सिवायचक बजंड रही है कथन के समर्थन में खसरा गिदावरी सम्वत् 2031 से 2039 पेश कर कथन किया कि वकील प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि उक्त भूमि सम्वत् 2040 में राजस्व रिकार्ड में चरागाह दर्ज थी। क्योंकि आवंटी को उक्त भूमि किस्म परिवर्तित करने के 6-7 वर्ष बाद आवंटित की गयी है तथा वरवक्त आवंटन उक्त भूमि चरागाह नहीं थी एवं किस्म परिवर्तन के पश्चात भूमि आवंटित की जा सकती है कथन के समर्थन में RRT2004 (2) Page No 999-1001 पेश किया गया। यह तर्क भी दिया कि आवंटित भूमि ख0न0 840 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा पर सम्वत् 2038 से 2065 में गुवार,तिल,बाजरा,सरसो,तारामीरा इत्यादि फसले काश्त की गयी थी कथन के समर्थन में उक्त अवधि की खसरा गिरदावरी पेश कर कथन किया कि उक्त भूमि पर आवंटन दिनांक से ही आवंटी द्वारा गुवार,तिल,बाजरा,सरसो,तारामीरा इत्यादि फसल लगातार काश्त की गयी है इसलिए वकील प्रार्थी का यह कथन गलत है कि आवंटन के पश्चात आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा हो। कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त RRT2004(2) शंकर लाल बनाम राजस्थान राज्य पेश किया गया। यह तर्क भी दिया कि आवंटित भूमि पर आवंटी व उसके वारिसान को तथा उसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 10 कंतागण को खातदारी अधिकारी प्राप्त होने के पश्चात इतने वर्षों बाद आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है कथन के समर्थन में RRT2007 (2) Page No 1430 पेश किया गया। RRT2008 (2) Page No 835 पेश कर निवेदन किया कि 10 वर्ष के बाद आवंटी को केवल काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के अधीन ही बेदखली किया जा सकता है न कि नियम 14(4) के अन्तर्गत। यह तर्क भी दिया कि कपट पूर्वक अथवा तथ्यों छिपाकर करवाया गया आवंटन ही इतने वर्षों बाद निरस्त किया जा सकता है कथन के समर्थन में RRT2007 (2) Page No 1443 पेश किया गया। यह तर्क भी दिया कि उक्त विवादित भूमि को लेकर पक्षकरान के मध्य न्यायालय वरिष्ठ सिविल जजी


डॉ. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर एवं उपजिला कलेक्टर बौली के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है जिसमें पक्षकारान का हित निर्धारित होना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) खारिज करने बाबत वकील अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्षों द्वारा दौरान बहस प्रस्तुत तर्कों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि वकील प्रार्थीगण द्वारा किया गया यह कथन कि आवंटित भूमि की किस्म वरवक्त आवंटन चरागाह दर्ज थी तथा चरागाह भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है, का खण्डन वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2031 से 2038 से हो जाता है जिसके अनुसार उक्त भूमि सम्वत् 2031 से 2033 तक चरागाह थी तथा सम्वत् 2034 में किस्म परिवर्तित कर आवंटित भूमि की किस्म सिवाचयक बंजड की जाकर किस्म परिवर्तन के 6-7 वर्ष बाद आवंटी को आवंटित की गयी है। अर्थात् वरवक्त आवंटन उक्त भूमि की किस्म चरागाह नहीं थी। आवंटित भूमि पर आवंटन के दो वर्ष तक आवंटी का कब्जा काशत नहीं होने बाबत किये गये कथन का खण्डन भी वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत्, 2038 से 2065 से होता है जिसके अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर बाजरा, जौत, तारामीरा इत्यादि लगातार काशत की गयी है। इसके अतिरिक्त वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में अंकित तथ्य इस प्रकरण के तथ्यो से भिन्न होने के कारण उक्त दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। क्योंकि उक्त न्यायिक दृष्टान्तों में आवंटी के पति के नाम 43 बीघा 5 बिस्वा भूमि होने के कारण आवंटी को भूमिहीन नहीं माना गया है, तथा गैर मु.रास्ते की किस्म परिवर्तन का अधिकार अति. जिला कलेक्टर को नहीं है एवं गैर मुमकिन तलाई की भूमि को काबिल काशत में परिवर्तित करने का अधिकार उपजिला कलेक्टर को नहीं होना बताया गया है। जहाँ तक सिमिलेट मेटर का प्रश्न है तो इस न्यायालय द्वारा पूर्व निगरानी प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं होने के कारण एक पक्षीय बहस के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जिसके कारण तत्समय न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण तथ्य नहीं आये हैं। इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त RRT2007 (2) Page No 1430 एवं RRT2008 (2) Page No 835 जिसके अनुसार 10 वर्ष के बाद आवंटी को केवल काशतकारी अधिनियम के प्रावधान के अधीन ही बेदखली किया जा सकता है न कि नियम 14(4) के अन्तर्गत। एवं RRT2007 (2) Page No 1443 जिसके अनुसार कपट पूर्वक अथवा तथ्य छिपाकर करवाया गया आवंटन ही इतने वर्षों बाद निरस्त किया जा सकता है। अर्थात् उक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर भली भांति चस्पा होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन मिसल के अनुसार अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराये गये आवंटन की श्रेणी में नहीं आता है जबकि इतने वर्ष पश्चात केवल मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराये गये आवंटन को ही खारिज किया जा सकता है तथा आवंटित भूमि का आवंटी व उसके पश्चात उसके वारिसान को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि निगरानी प्रार्थना पत्र से संबंधित आराजीयात को लेकर पक्षकारान के मध्य सिविल न्यायालय एवं उपजिला कलेक्टर न्यायालय बौली प्रकरण में प्रकरण जैरकार है जिसमें पक्षकारान का हित तय होना है। ऐसी स्थिति में न्याय के परिप्रेक्ष्य में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटी रामनिवास के पक्ष किये गये आवंटन आदेश दिनांक 27.5.1981 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होने के कारण प्रार्थीगणों की ओर प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) को खारिज किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 8.5.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।


(डॉ० एस०पी०सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

